



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक-25.11.2023

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 187/23 धारा 376/147/323/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 187/23 धारा 376/147/323/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलफाम पुत्र रमजान निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-है0का0 40 राशिद थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 25.11.2023

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 25.11.2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 460/23 धारा 392/341 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व लूटे हुए रुपयों में से 890 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.10.2023 को थाना खेकड़ा पर वादी सुनील पुत्र चुन्नी निवासी राजीव विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद ने सूचना दी कि तीन/चार अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसकी गाड़ी को रूकवा कर उससे 11000 रुपये लूट लिया हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 460/23 धारा 392/341 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 460/23 धारा 392/341 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटे गये रुपये में से 890 रुपये नगद व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग में दिनांक 06.11.2023 को थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों 1-बन्टी उर्फ प्रशान्त पुत्र संदीप निवासी पट्टी अहिरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत, 2-रविन्द्र उर्फ रैन्चो पुत्र विजयपाल निवासी पट्टी अहिरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत को लूटे हुए 3570/- रुपयों के साथ गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शेर सिंह पुत्र साहब राम निवासी पट्टी अहिरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 452/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 1130/18 धारा 395/397/412/427 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 1379/18 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- लूटे गये रूपये में से 890 रूपये नगद ।
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना खेकड़ा ।
- 2-है0का0 290 संसरपाल सिंह थाना खेकड़ा ।
- 3-का0 1022 अजय प्रताप सिंह थाना खेकड़ा ।